



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934

No. 567]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 29 मार्च, 2012

का.आ. 651(अ).—यतः, मै. एसईजेड बायोटेक सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य में ग्राम मंजरी बुद्रुक, तालुका हवेली, जिला पुणे में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 27 मार्च, 2012 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

## तालिका

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मंजरी बुद्रुक	105/1बी/2	0.3910
2.		106/1ए/1	0.1016

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मंजरी बुद्रुक	106/1ए/1/2	0.0750
4.		106/1ए/1/3	0.0866
5.		106/1ए/1/4	0.1100
6.		106/1ए/2/3	0.0868
7.		106/1बी	0.4000
8.		106/3	0.7400
9.		106/4/1ए	0.3100
10.		106/4/1बी	0.1500
11.		106/4/2	0.1500
12.		106/5ए	0.1600
13.		106/5बी	0.1600
14.		106/6ए	0.1300
15.		106/6बी	0.1300
16.		107/1ए	0.1600
17.		107/1बी	0.1500
18.		107/1सी	0.1600
19.		107/2/1ए	0.4700
20.		107/2/1बी	0.9600
21.		107/3बी/1	0.2250
22.		107/3बी/2	0.2250
23.		107/4ए	0.3200
24.		107/4बी/2	0.1000
25.		107/5ए/1	0.8800

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	मंजरी बुद्रुक	107/5बी/1	0.4400
27.		107/6ए	0.4100
28.		107/6बी/1	0.1900
29.		107/6बी/2	0.2170
30.		108/1बी/1	0.3600
31.		108/7बी	0.3300
32.		108/8ए	0.3300
33.		108/8बी	0.3300
34.		109/2ए/1/2	0.1430
35.		109/2ए/1/3	0.2000
36.		109/2ए/1/4	0.2000
37.		109/2बी/6	0.0900
38.		109/2बी/7	0.2000
39.		110ए/ए/1ए/1	0.07875
40.		110ए/ए/1ए/1बी/1	0.1650
41.		110ए/ए/1/बी/1	0.1800
42.		110ए/1ए/1/3/1	0.1420
43.		110ए/बी/1/1/1ए	0.3900
44.		110ए/बी/1/2	0.1600
45.		110ए/1बी/2	0.1200
कुल		<b>11.50675</b>	
(हेक्टेयर)			

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर —सदस्य, पदेन

संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा

- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
- राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
- जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रिती और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 29 मार्च, 2012 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 1/18/2011-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

##### (Department of Commerce)

##### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2012

**S.O. 651(E).**—Whereas, M/s. SEZ Bio-Tech Services Private Limited has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for biotechnology at Village Manjari Budruk, Taluka Haveli, District Pune in the State of Maharashtra;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 27th March, 2012;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

#### TABLE

Serial No.	Name of the village	Survey Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manjari Budruk	105/1B/2	0.3910
2.		106/1A/1	0.1016
3.		106/1A/1/2	0.0750
4.		106/1A/1/3	0.0866
5.		106/1A/1/4	0.1100

(1)	(2)	(3)	(4)	Hectares
6.	Manjari Budruk	106/1A/2/3	0.0868	And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—
7.		106/1B	0.4000	
8.		106/3	0.7400	
9.		106/4/1A	0.3100	
10.		106/4/1B	0.1500	
11.		106/4/2	0.1500	
12.		106/5A	0.1600	—Chairperson <i>ex-officio;</i>
13.		106/5B	0.1600	
14.		106/6A	0.1300	
15.		106/6B	0.1300	—Member <i>ex-officio;</i>
16.		107/1A	0.1600	
17.		107/1B	0.1500	
18.		107/1C	0.1600	
19.		107/2/1A	0.4700	
20.		107/2/1B	0.9600	
21.		107/3B/1	0.2250	
22.		107/3B/2	0.2250	
23.		107/4A	0.3200	
24.		107/4B/2	0.1000	—Member <i>ex-officio;</i>
25.		107/5A/1	0.8800	
26.		107/5B/1	0.4400	
27.		107/6A	0.4100	
28.		107/6B/1	0.1900	
29.		107/6B/2	0.2170	
30.		108/1B/1	0.3600	
31.		108/7B	0.3300	
32.		108/8A	0.3300	
33.		108/8B	0.3300	
34.		109/2A/1/2	0.1430	—Member <i>ex-officio;</i>
35.		109/2A/1/3	0.2000	
36.		109/2A/1/4	0.2000	
37.		109/2B/6	0.0900	—Members <i>ex-officio;</i>
38.		109/2B/7	0.2000	
39.		110A/A/1A/1	0.07875	—Special Invitee
40.		110A/A/1A/1B/1	0.1650	
41.		110A/A/1/B/1	0.1800	
42.		110A/A/1/3/1	0.1420	
43.		110A/B/1/1/1A	0.3900	
44.		110A/B/1/2	0.1600	
45.		110A/1B/2	0.1200	
<b>TOTAL</b>		<b>11.50675</b>		

[F. No. F. 1/18/2011-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 29th day of March, 2012 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).